



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 387/17

निर्णय दिनांक: 4-12-2017

1. धूड़दास पुत्र भीखदास जाति साघ निवासी दियातरा तहसील कोलायत जिला
बीकानेर।

अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 07-04-2006
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बज्जू

उपस्थिति:—

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बज्जू के निर्णय दिनांक 07.4.2006 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व से ही अन्य को आवंटित भूमि व कुछ भू-भाग वन विभाग को आवंटित भूमि का भूमिहीन में आवंटन किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने भूमिहीन काश्तकार के रूप में पुख्ता आवंटन हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष वर्ष 1983 में आवेदन प्रस्तुत किया गया। अपीलांट के आवेदन पत्र आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अपीलांट को 22 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्र घोषित करते हुए दिनांक 02-02-1984 को चक 3 बी. एल.एम. में 44 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि का कब्जा भी प्राप्त कर लिया गया, तथा सम्पूर्ण किश्तें भी जमा करवा दी गईं। परन्तु सम्पूर्ण भूमि अनकमाण्ड होने के कारण राज्य सरकार के निर्देशानुसार आवेदन मांगे जाने पर अपीलांट ने विनिमय में कमाण्ड भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर अपीलांट को चक 2 एस. एच.एम.(बी) के मुरब्बा नम्बर 31/29 में 23 बीघा कमाण्ड भूमि आवंटित की गई। अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा काफी प्रयास के बावजूद भी प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि आराजी जैर का कुछ हिस्सा अर्थात् 13 बीघा भूमि गिरधारीराम पुत्र फूसाराम व चम्पादेवी पत्नी गिरधारीराम को आवंटनशुदा है तथा शेष 10 बीघा भूमि रिकार्ड में आराजीराज दर्ज होते हुए मौके पर वन विभाग का कब्जा है तथा मौके पर वन विभाग की नर्सरी बनी हुई है। अपीलांट को उक्त भूमि मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत दोहरे आवंटन प्रपत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया कि मौके पर नर्सरी व पेड़ लगे हुए हैं तथा वन विभाग का कब्जा है। इसलिए आराजी जैर का कब्जा दिया जाना संभव नहीं है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन आदेश आज दिनांक तक खारिज नहीं किया गया है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 07-04-2006 के विरुद्ध अपील दिनांक 21-11-2017 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट को आवंटनशुदा भूमि का कुछ भाग पूर्व में ही अन्य को आवंटनशुदा है तथा कुछ भू-भाग पर पूर्व से ही वन विभाग का कब्जा काश्त है। ऐसी स्थिति में उक्त आराजी अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकती। अतः अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहाँ तक मियाद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 07-04-2006 के विरुद्ध अपील दिनांक 21-11-2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। चूंकि अपीलांट को पूर्व में वन विभाग को आवंटनशुदा भूमि का आवंटन किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियाद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को उपनिवेशन तहसील बज्जु के चक 3 बी.एल.एम. में 44 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि का कब्जा भी प्राप्त कर लिया गया, तथा सम्पूर्ण किश्तें भी जमा करवा दी गई। परन्तु सम्पूर्ण भूमि अनकमाण्ड होने के कारण राज्य सरकार के निर्देशानुसार आवेदन मांगे जाने पर अपीलांट ने विनिमय में कमाण्ड भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर अपीलांट को चक 2 एस.एच.एम.(बी) के मुरब्बा नम्बर 31/29 में 23 बीघा कमाण्ड भूमि आवंटित की गई।

अपीलांट को आराजी जैर का कब्जा इस आधार पर नहीं मिला कि उक्त भूमि तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर वन विभाग के कब्जे में है तथा मौके पर वन विभाग की तारबन्दी व वृक्षारोपण है।

(3) जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट को वादगत् आराजी का आवंटन भूमिहीन के तौर आवंटन सलाहकार समिति की राय पर आवंटन किया गया। अपीलांट को पूर्व में आवंटित भूमि सम्पूर्ण रूप से अनकमाण्ड होने पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार अपीलांट को पुनः कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। अपीलांट को पुनः चक 2 एस.एच.एम(बी) के मुर्ब्बा नम्बर 31/29 में 23 बीघा भूमि आवंटित की गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत पत्रावली से संबंधित दस्तावजों के साथ तहसीलदार उपनिवेशन, कोलायत नं. 1 द्वारा प्रस्तुत दोहरा आवंटन प्रपत्र में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि आराजी जैर तादादी 23 बीघा में से 13 बीघा भूमि गिरधारीराम वगैरा को आवंटनशुदा है तथा शेष 10 बीघा भूमि पर मौके पर वन विभाग का कब्जा है तथा मौके पर तारबन्दी व वृक्षारोपण किया हुआ है। इस तथ्य को अदालत मातहत द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि आराजी जैर पर वन विभाग के द्वारा तारबन्दी, वन विभाग की नर्सरी व पेड़ लगे हैं। इसलिए अपीलांट को उक्त आराजी जैर का कब्जा प्राप्त नहीं हो सकता। अदालत मातहत को अपीलांट को आराजी जैर के आवंटन से पूर्व संबंधित तहसीलदार से उक्त आशय की रिपोर्ट प्राप्त की जारी अपरिहार्य थी कि क्या उक्त आराजी विशुद्ध रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं? जबकि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। जिससे कारण अपीलांट का प्रकरण दोहरे आवंटन का प्रकरण बना है। अतः अपीलांट पात्रता अनुसार अन्य भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

(4) अपीलांट को पूर्व में अन्य को आवंटित व तत्पश्चात् पुनः वन विभाग को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। प्रकरण में आवंटन अधिकारी की चूक या कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा आवंटी को नहीं दिया जा सकता। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जाँच किये बिना अपीलांट को पूर्व में ही आराजी जैर का कुछ भाग अन्य को आवंटनशुदा व कुछ भू-भाग वन विभाग के अधिग्रहण की भूमि का आवंटन अपीलांट को किया गया है। जो स्पष्ट रूप से अयुक्तियुक्त आवंटन है।

(5) अपीलांट का आवंटन आज दिनांक तक निरस्त नहीं किया गया। अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। चूंकि अपीलांट को पूर्व में वन विभाग को आवंटनशुदा भूमि का आवंटन कर दिया गया। इसलिए अपीलांट पात्रता अनुसार अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

7. अतः बिन्दु संख्या 6 के मद संख्या 1 से 5 में वर्णित विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 07-04-2006 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को उसकी पात्रता की जाँच करते हुए विवादरहित व शुद्ध रूप से भूमिहीन श्रेणी की अन्यत्र भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 4-12-2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)

राजस्व अपील प्राधिकारी

बीकानेर